सीडी डीवीडी की नकल
जरूरी है कार्रवाई

लॉरा ली और बोनी जे. के. रिचर्डसन

डिजिटल प्रौद्योगिकी ने वैश्विक स्तर पर सर्जनात्मक सूचनाओं के प्रसार का सपना साकार कर दिया है। सिनेमा के शौकीन अब विश्व के किसी भी कोने में डिजिटल प्रौद्योगिकी की मदद से चाहें तो बस बटन के एक क्लिक पर भारत, मेक्सिको या मिस्र की फिल्म देख सकते हैं या संगीत प्रेमी रूस या चीन के सुमधुर संगीत का आनंद ले सकते हैं।

इस प्रौद्योगिकी के बढ़ते चरणों से पाइरेसी यानी चोरी के भी रास्ते खुल गए हैं। कॉपीराइट पर निर्भर सिनेमा, संगीत तथा सॉफ्टवेयर जैसे सभी उद्योगों को ऑप्टिकल डिस्क चोरी से भारी नुकसान हो रहा है। तमाम देश यह महसूस करने लगे हैं कि अगर ऑप्टिकल डिस्क चोरी तथा अन्य प्रकार की चोरी से इन उद्योगों के बौद्धिक संपत्ति अधिकारों (आईपीआर) की समुचित रक्षा न कर सके तो इससे उनका आर्थिक भविष्य संकट में पड़ जाएगा। कई देशों में इसके कारण इन उद्योगों के विकास में बाधा पैदा हो गई है और इसके कारण संभावित निवेशकों, नए प्रयोगकर्त्ताओं और नए रोजगार पैदा करने वालों को हतोत्साहित होना पड़ा है।

ऑप्टिकल डिस्क में डीवीडी, डीवीडी रिकार्डेबल्स, कांपैक्ट डिस्क, सीडी-रॉम, कांपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, वीडियो कांपैक्ट डिस्क और लेजर डिस्क शामिल हैं। ऑप्टिकल डिस्कों का निर्माण और वितरण बहुत आसान है और इन्हीं दो कारणों से इनके जरिये सर्जनात्मक कार्यक्रमों की चोरी करना भी बहुत आसान हो गया है। परंपरागत चोरी वैसी ही प्रौद्योगिकी की मदद से की जाती थी लेकिन डिजिटल डिस्क की चोरी में डिस्क की गुणवत्ता मूल डिस्क के लगभग समान ही होती है और उत्पादन में आसानी के कारण अपेक्षाकृत बहुत कम समय में भी बड़े पैमाने पर अवैध डिस्कों का निर्माण किया जा सकता है। अमेरिकी चलचित्र उद्योग ने कानून लागू करने वाली एजेंसियों के सहयोग से वर्ष 2003 में 5.2 करोड़ चोरी की ऑप्टिकल डिस्कें बरामद कीं।

तेजी से बढ़ती इस समस्या के समाधान के लिए निर्माण के समय ही चोरी रोकने के लिए नए तरीके ईजाद करने होंगे। इनमें से एक कारगर तरीका अक्टूबर 2003 में आयोजित एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपैक) सम्मेलन के दौरान सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा अपनाए गए ''प्रभावी तरीकों'' के समान ही ऑप्टिकल डिस्क विनियमन को अपनाना है।

प्रभावी तरीके ऐसे बनाए जाएं कि उनसे ऑप्टिकल डिस्कों की अवैध कॉपी बनाने की सभी सुविधाओं को पहचान करके उन पर नियंत्रण किया जा सके। इसके लिए अधिकारियों को ऑप्टिकल डिस्क निर्माताओं तथा इनके निर्माण से संबंधित उपकरणों पर कड़े से कड़े लाइसेंस नियम लागू करने होंगे। लाइसेंस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने पर गैर लाइसेंसी सुविधाओं को बंद करने के लिए कानूनी आधार मिल जाएगा। विनियमन के कारण लाइसेंसी ऑप्टिकल डिस्क निर्माताओं को निर्माण संबंधी जानकारी का समुचित रिकॉर्ड रखना होगा और प्रत्येक डिस्क के लिए 'सोर्स आइडेंटिफिकेशन कोड (एसआइडी) देना होगा। इन उपायों से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि लाइसेंस प्राप्त सुविधाओं के तहत केवल वैध ऑप्टिकल डिस्कों का निर्माण किया जा रहा है।

''प्रभावी तरीकों'' के कारण ऑप्टिकल डिस्कों के निर्माण में काम आने वाले उपकरणों और ऑप्टिकल ग्रेड के पॉलीकार्बोनेट जैसे कच्चे माल की आवाजाही की रिपोर्टिंग जरूरी होगी और इस पर नजर रखी जा सकेगी। इन तरीकों से आकस्मिक जांच-पड़ताल तथा चोरी की सामग्री तैयार करने के काम आने वाली मशीनरी को नष्ट करने पर भी सरकारी मुहर लग सकेगी।

हमारा विचार है कि जिस देश में भी डिस्क निर्माण सुविधाओं के तहत चोरी से बड़े पैमाने पर सामग्री तैयार की जा रही है, उन्हें ऑप्टिकल डिस्क निर्माण पर नियंत्रण के लिए इस प्रकार के विशेष विनियमन लागू करने चाहिएं। नकली डिस्कें बनाने वाले सिंडिकेट ऑप्टिकल डिस्कों के निर्माण का काम उन देशों के अधिकार क्षेत्र से लगातार हटा रहे हैं जहां विनियमन लागू हैं और ऐसे देशों में ले जा रहे हैं जहां इस तरह के बचाव की व्यवस्था नहीं है। चीन, बुल्गारिया, मलयेशिया, फिलीपीन तथा ताइवान में ऑप्टिकल डिस्क विनियमन लागू हैं और सिंगापुर में ऐसी प्रणाली लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिकी सरकार भी ऐसे महत्वपूर्ण ऑप्टिकल डिस्क विनियमन को अपनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

ऑप्टिकल डिस्क चोरी से जुड़ी एक बड़ी परेशानी यह है कि इसके तार अपराध एजेंसियों से जुड़े हैं। संगठित अपराध की दुनिया ने यह तुरंत महसूस कर लिया है कि इस काम में कई देशों में मुनाफा बहुत ऊंचा और दंड न्यूनतम है। इंटरपोल जैसी कानून लागू करने वाली एजेंसी ने नकली ऑप्टिकल डिस्कों के निर्माण की पहचान अपराधी संगठनों तथा आतंकी समूहों के लिए आर्थिक सहायता पहुंचाने वाले महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में की है।

अपराधी संगठनों तथा ऑप्टिकल डिस्क चोरी के इस गठबंधन को तोड़ने का रास्ता यही है कि संगठित अपराध को रोकने के लिए समुचित कानून लागू किया जाए। कॉपीराइट उद्योग की भलाई इसी बात पर निर्भर है कि सभी देश जिस तरह अन्य प्रकार के संगठित अपराधों को रोकने के लिए कानूनी तरीकों का सहारा लेते हैं, उसी तरह इस चोरी के खिलाफ भी एकजुट होकर ऐसे ही प्रयास करें। इनमें धन की तस्करी, निगरानी तकनीकें तथा संशोधित संगठित अपराध कानून भी शामिल हो।

मोशन पिक्चर एसोसिएशन के अभियान के तहत नकल करके बनाई गई अवैध डीवीडी और सीडी क्रशर मशीन में डालकर नष्ट की जा रही हैं।

***लारा ली** यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ लॉ की विद्यार्थी तथा मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका (एमपीएए) की इंटर्न हैं। बोनी जे. के. रिचर्डसन एमपीएए के ट्रेड एंड फेडरल अफेयर्स की वाइस प्रेसिडेंट हैं।*